



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220867
CG-DL-E-05082020-220867

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]
No. 308]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

भारतीय खाद्य निगम अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सं. 127

सं.ईपी.7(1)/2020.— खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

- ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएंगे।
- ये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के विनियम 64 (क) (ii) में निम्नानुसार संशोधन किए गये हैं :-
4. विनियम 60-क (ii) - सेवानिवृत्ति के बाद की कार्यवाही तेजी से तथा आरोपित कार्मिक को आरोप-पत्र (चार्जशीट) सुपुर्द करने की तारीख से 18 महीने के भीतर न्यायालय के आदेशों के अधीन, यदि कोई हो तो, पूरी की जाए।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./167/2020-21]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा० खा० नि०, (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019	03.09.2019
2.	भा० खा० नि०, (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019	06.01.2020
3.	भा० खा० नि०, (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2020	23.06.2020
4.	भा० खा० नि०, (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020	30.07.2020
5.	भा० खा० नि०, (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020	30.07.2020

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th, July, 2020

No. 127

No. EP-7(1)2020-In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Forth Amendment) Regulations, 2020.
- (ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. In FCI (Staff) Regulations 1971, Regulation 60-A (ii) may be amended as under:-

Regulation 64-A(ii) – Proceeding after retirement should be completed expeditiously and within 18 months from the date of delivery of charge sheet to the charged official, subject to Court Orders, if any.

SEEMA KAKAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./167/2020-21]

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No.	Title	Dated
1	FCI(Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2019	03.09.2019
2	FCI(Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2019	06.01.2020
3	FCI(Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2020	23.06.2020
4	FCI(Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
5	FCI(Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020